अनवान बाबूलाल बनाम लालाराम
मुकदमा नंबर 144 / 2022

नम्बर व तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05.02.25	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्षकारन अधिवक्ता उपस्थित ।	

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 4 सी.पी.सी. पर बहस सुनी गई। प्रार्थीगण के अधिवक्ता की बहस है कि अज अदालत में विचाराधीन मूल वाद संख्या 34/2022 अनवान बाबूलाल वैगरा बनाम लालाराम वगैरा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 1955 की धारा 88,53,188 को दिनांक 22.08.20222 को अदम हाजिरी व अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया जिसकी नकल प्रार्थीगण अधिवक्ता को दिनांक 07.09.2022 को प्राप्त हुई तत्पश्चात प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र न्यायालय श्री में पेश किया है जिसे स्वीकार किया जाकर मूलवाद संख्या 34/2022 को पुनः रिस्टोर किया जावे।

विप्रार्थी संख्या 1 के अधिवक्ता की बहस है कि प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा दिनांक 07.09.2022 को मूलवाद संख्या 34/2022 को नकल प्राप्त कर ली गई थी जबकि हस्तगत प्रार्थना पत्र विलम्ब से न्यायालय श्री में पेश किया है तथा प्रार्थना पत्र में विलम्ब से पेश किया जाने का कोई कारण न तो स्पष्ट किया हैं और न ही परिसीमा अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र ही पेश किया है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र विलम्ब से पेश किये जाने के कारण खारिज फरमाया जावे। विप्रार्थी ने अपने मौखिक जवाब के समर्थन में माननीय उच्च न्यायालय पंजाब व हरियाणा द्वारा सिविल रिवजीन संख्या 754/2014 दलपीतसिंह गिल बनाम जागीर सिंह सिद्धू व अन्य वगैरा में दिनांक 08 मई 2018 को निर्णित आदेश की प्रति पेश की ।

हमने दोनो पक्षो के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी और पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का गंभीरता से अध्ययन व मनन किया। विप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत नजीर का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया। अज अदालत में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 1955 की धारा 88,53,188 के तहत विचाराधीन मूलवाद संख्या 34/2022 बअनवान बाबूलाल वगैरा बनाम लालाराम वगैरा में दिनांक 22.08.2022 को प्रार्थीगण (वादीगण) के अधिवक्ता के अदम हाजिरी व अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया था जिसका ज्ञान होने पर वादीगण(प्रार्थीगण) द्वारा दिनांक 7.09.2022 को नकल प्राप्त किये जाने पर दिनांक 07.10.2022 को अज अदालत में मूल वाद को पुनः सुनवाई में लिये जाने हेतु आदेश 09 नियम 04 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र तत्कालीन पीठासीन अधिकारी के समक्ष पेश किया गया जो दिनांक 02.11.2022 को दर्ज किया गया। [illegible] की धारा 09 नियम 04 अनुसार **जहां वाद [illegible] खारिज कर दिया जाता है वहीं वादी नया वाद [illegible] परिसीमा विधि के अधीन रहते हुए खारिजी को अपास्त [illegible] का आवेदन कर सकेगा।** विप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नजीर में स्पष्ट किया गया है कि आदेश के 30 दिनो के बाद दायर की गई बहाली के लिए आवेदन सीमा अधिनियम की धारा 122 के तहत समय सीमा है, पर्याप्त कारण

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.03.17 17:38:11 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) सिवाना

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म में जारी

पर विलम्ब क्षमा के लिए कोई आवेदन दायर नहीं किया जाता है तो पुनर्बहाली के लिए आवेदन समय –सीमा पर वर्जित होने के कारण खारिज किए जाने योग्य है। यहां प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में परिसीमा अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया है जो किसी आवेदन/अपील के साथ अनिवार्य है । विप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नजीर हस्तगत प्रकरण में पूर्णतया चस्पा होती है।

लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 4 सी.पी.सी. अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) सिवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.03.17 17:38:11 IST
Reason: SelfAttested